



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

हवामहल के पास, बडीचौपड़, जयपुर, राजस्थान-302002



कार्यालय :- एफ-6 () राजस्व प्रथम शाखा / ला.शाखा / जननी / हैरिटेज / 2024 / 543 दिनांक: 15/01/2025

ई-ऑक्शन (पार्किंग) विज्ञापित सं. 17 / 2024-25

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा सावर्जनिक पार्किंग स्थल पर पेड पार्किंग के लिए पार्किंग साईट का ई-ऑक्शन निम्नानुसार किया जाना है:-

क्र. स	पार्किंग स्थल का नाम	न्यूनतम बोली राशि
1.	1. पाँच बत्ती चौराहा नाले के पीछे	17,99,000/- +GST
2.	ई-नीलामी भागीदारी शुल्क	5,000/- रूपयें+GST अप्रतिदेय (NON REFUNDABLE)
3.	ई-नीलामी अमानता राशि	10 प्रतिशत न्यूनतम नीलामी बोली / प्रारम्भिक नीलामी बोली राशि का
4.	ई-नीलामी भागीदारी शुल्क जमा कराने की दिनांक व समय	15.01.2025 से 27.01.2025 सायं 04:00 बजे तक
5.	ई-नीलामी अमानता राशि जमा कराने की दिनांक व समय	15.01.2025 से 27.01.2025 सायं 06:00 बजे तक
6.	ई-नीलामी बोली प्रारम्भ करने एवं समाप्ति की दिनांक	28.01.2025 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 04:00 बजे तक (अंतिम 05 मिनट में बोली लगने की स्थिति में 15 मिनट की वृद्धि की जावेगी।

इच्छुक बोली दाता ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन शुल्क रूपयें 1000/-रूपयें+GST जमा करवाकर पंजीयन करवा सकते हैं।

- ई-नीलामी की शर्तों व पार्किंग स्थलों के नक्शों का अवलोकन ऑनलाईन या किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरता के कार्यालय में कमरा नं- 274 में किया जा सकता है।
- ई-ऑक्शन कार्यक्रम, शर्तें, अमानता राशि, भागीदारी राशि तथा ई-नीलामी बिजनेस रूल्स आदि की जानकारी हेतु नीलामी वेब साईट Jaipurmcheritage.org में (E-Auction) पर देखी जा सकती है।
- किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या अथवा जानकारी हेतु श्री प्रेम प्रकाश झिंगिनिया (एनालिस्ट-कम-प्रोगामर), दूरभाष नं. 9887764012 एवं श्री विशाल चांवरिया (कनिष्ठ सहायक), दूरभाष नं. 7610836024 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(निधि सिंह)

R.A.S

उपायुक्त राजस्व (प्रथम)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:-

- एनालिस्ट-कम-प्रोगामर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख हैं, कि उक्त पार्किंग विज्ञापित का दो प्रमुख राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में व एक राष्ट्रीय स्तरीय अग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें एवं एक प्रति शाखा में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समय पर विज्ञापित का प्रकाशन नहीं होने पर यदि ऑक्शन निरस्त होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
- नोटिस बोर्ड मुख्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
- नोटिस बोर्ड समस्त जोन कार्यालय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

उपायुक्त राजस्व (प्रथम)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज